न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00125

1. सूरजमल आत्मज श्री रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम बावडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती मनभर बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी चौथमल जाति मीणा निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती किसकन्दा पुत्री रामचन्द्र पत्नी रामकिशन जाति मीणा निवासी खातौली तहसील उनियारा जिला टोंक ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामफूल आत्मज श्री भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम बावडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शंकर आत्मज श्री अम्बालाल जाति मीना निवासी बावडी तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. जगदीश आत्मज श्री अम्बालाल जाति मीना निवासी बावडी तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
4. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा जिला बून्दी ।
5. राज़स्थान राज्य जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बावडी तहसील नैनवा में कुल 02 किता की रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी शंकर, जगदीश का 1/2 हिस्सा है एवं रामचन्द्र जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान का 1/4 हिस्सा है । प्रार्थी दोनों खसरा नम्बर के दक्षिण हिस्से पर हिस्सा मुताबिक काबिज काश्त बाहमी विभाजन अनुसार चला आ रहा है । ग्राम बावडी में ही खसरा नम्बर 751 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सूरजमल, मनभर, किसकन्दा, कल्याणी का 2/3 हिस्सा दर्ज है । ग्राम बावडी में खाता संख्या नया 183 में कुल 03 किता की रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है तथा खाता संख्या 182 नया में 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का ही खाता व कब्जा चला आ रहा है । चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है । चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा चरण संख्या 03 में वर्णित आराजी पर प्रार्थी बतौर खातेदार निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी ने चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी में दक्षिण दिशा की अपने हिस्से की भूमि में इस वर्ष उडद की फसल बोई है जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल कर फसल को नष्ट करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण प्रार्थी को वादपत्र के चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी पर उनके कब्जे की भूमि जो दक्षिण दिशा की तरफ उनके हिस्सा मुताबिक काबिज हैं पर से बेदखल नहीं करें तथा चरण सख्या 03 में वर्णित आराजी जो केवल प्रार्थी के कब्जे एवं खाते की है पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2013 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण क्रम 3 लगायत 5 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपने खाते की आराजी का एवं संयुक्त खाते की आराजी का एक साथ दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । यदि रेस्पोडेन्ट को अपने खाते की आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद था तो उसे अलग से दावा करना चाहिए था तथा संयुक्त खाते की आराजी का बंटवारे का वाद अलग से करना चाहिए था । संयुक्त खाते की आराजी में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रार्थी ने गलत बयानी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने यह कथन कर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2 व 3 हैं उनके पिता के समय बंटवारा कर दिये जाने के कारण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। रेस्पोडेन्ट के द्वारा संयुक्त खाते की आराजी और अपने खाते की आराजी का एक साथ दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । सहखातेदार के विरूद्ध कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्रार्थी रेस्पोडेन्ट एक तरफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी आराजी के बाबत् रिसीवर की मांग कर रहे हैं । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में नहीं है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट जो कि सहखातेदार हैं के काश्त में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और बेदखल करने पर आमादा हैं । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने एक दावा विभाजन एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है और यह कथन किया है कि ग्राम बावडी तहसील नैनवा में खाता संख्या 201 में कुल 02 किता की 27 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है इसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है । ग्राम बावडी में ही खाता संख्या 179 में स्थित आराजी, खसरा नम्बर 751 रकबा 05 बीघा में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है । ग्राम बावडी में नया खाता संख्या 183 में कुल 03 किता रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा आराजी और ग्राम बावडी में नया खाता संख्या 182 में खसरा नम्बर 918/772 की 01 बीघा 10 बिस्वा आराजी प्रार्थी के तन्हा खाते एवं कब्जे की है । पक्षकारान के मध्य संयुक्त खाते की आराजी का विभाजन वर्षों पूर्व हो चुका है । पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनको बेदखल करने पर आमादा हैं । अतः उनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

11. परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 179 की आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है । खात संख्या 182 की आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के तन्हा खाते में दर्ज है और खाता संख्या 183 की आराजी भी प्रार्थी के तन्हा खाते में दर्ज है । खाता संख्या नया 201 की आराजी

पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा अंकित है । इसके अलावा नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 नया खाता संख्या 201, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 नया खाता सख्या 183, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 नया खाता संख्या 182 एवं 179 संलग्न हैं ।

12. परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने संयुक्त एवं तन्हा खाते की आराजी के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का दावा पेश किया है और धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण उनके कब्जे की आराजी से उनको बेदखल करने पर आमादा हैं । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और अप्रार्थीगण को संयुक्त खाते की आराजी में उनके हिस्से तक और तन्हा खाते की आराजी में बेदखल नहीं करने का आदेश पारित किया है । जिस आराजी के रेस्पोडेन्ट तन्हा खातेदार हैं उससे उनको बेदखल करने का अपीलान्टगण को कोई अधिकार नहीं है और संयुक्त खाते की आराजी में भी यदि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को उसके हिस्से की आराजी में काश्त करने से रोकता है एवं बेदखल करने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के पक्ष में है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि संयुक्त खातेदारी व तन्हा खाते की आराजी के लिए एक दावा पेश नहीं किया जा सकता । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2013 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा